

के लिए संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है। सम्भवतः सदस्य महोदय के ध्यान में उन दो न्यायाधीशों अर्थात् मुम्बई उच्च न्यायालय के श्री य० प्रार० ललित और दिल्ली उच्च न्यायालय के श्री प्रार० एन० अग्रवाल का मामला है, जिनको स्थायी नहीं किया गया था और जिनको अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, बढ़ाया नहीं गया था। अब श्री प्रार० एन० अग्रवाल के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने वाला समादेश जारी कर दिया गया है।

मोतिया खान क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा दल के क्वार्टर

2560. श्री शिवनारायण सरसूनिधा :  
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोतिया खान क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा दल के लिए क्वार्टरों की संख्या कितनी है और उनका कब निर्माण किया गया था ;

(ख) उनकी कब मरम्मत की गई थी और उनमें कितने परिवार रह रहे हैं ;

(ग) क्या इन परिवारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए कोई वचन दिए गए थे; और

(घ) इन वचनों को पूरा करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु इण्डवते) :-

(क) सम्भवतः माननीय सदस्य का प्राशय सदर कालोनी दिल्ली के वर्तमान क्वार्टरों जो मोतिया खान क्षेत्र के समीप हैं, से है। इस क्षेत्र में टाइप I के 23 और टाइप II के 15 क्वार्टर रेल सुरक्षा दल के क्वार्टरों को आवंटित किये गये हैं। ये क्वार्टर 1957

के लगभग बनाए गए थे। इसके अलावा एक बैरक है जिसका निर्माण 1950 से पहले किया गया था।

(ख) क्वार्टरों और बैरकों की मरम्मत आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से की जाती है। रेल सुरक्षा दल के 38 कर्मचारियों के परिवारों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था की गयी थी और लगभग 107 जवान बैरकों में रहते हैं जहां इकहरे स्थान की व्यवस्था है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्सोब घाटो लि०, कलकत्ता के सप्लाइ एजेंट

2561. श्री लक्ष्मण राव मानकर :  
क्या बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंसम इन्सोब घाटो लि०, कलकत्ता ने वर्ष 1970 से अपने एजेंटों को मोटर सप्लाइ नहीं किये हैं ;

(ख) सप्लाइ एजेंट नियुक्त करने समय और उसके बाद कितनी धनराशि जमा की गई ;

(ग) नियुक्त एजेंटों को मोटर सप्लाइ न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या कम्पनी ने एजेंटों को जमा धनराशि वापस करने से इन्कार कर दिया है और क्या उन्होंने इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ग). मं० इन्सोब घाटो लिमिटेड के, दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1976 के मध्य, कम्पनी